



पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि०

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

CIN:- U40101UR2004SGC028675

मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग

विद्युत भवन, नजदीक-आई०एस०बी०टी० क्रासिंग, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून-248002

E-mail:- hr@ptcul.org

दूरभाष नं० 0135-2645249 फैक्स नं० 0135-2645249 वेबसाइट www.ptcul.org

पत्रांक 1653/मा०सं०एवंप्र०वि०/पिटकुल/पी-8

दिनांक : 14.09.2026

विषय:-स्थानान्तरण पर नव-तैनाती स्थान पर पुनः मकान किराया भत्ता स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

समस्त मुख्य अभियन्ता/महाप्रबन्धक,

समस्त अधीक्षण अभियन्ता/उपमहाप्रबन्धक,

कम्पनी सचिव,

समस्त अधिशासी अभियन्ता, पिटकुल,।

कृपया उपरोक्त विषयक कारपोरेशन पत्रांक 1408/मा०सं०एवंप्र०वि०/पिटकुल/पी-8 दिनांक 12.08.2026 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा यह निर्देशित किया गया है कि "यदि किसी कार्मिक का स्थानान्तरण होता है तथा नव-तैनाती स्थान पर विभागीय आवास आवंटित नहीं होता है तो सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नव-तैनाती स्थान पर मकान किराया भत्ता हेतु आवेदन किया जाएगा तथा सम्बन्धित नियंत्रक/आहरण-वितरण अधिकारी द्वारा नियमानुसार मकान किराया भत्ता स्वीकृत किया जाएगा, तत्पश्चात ही कार्मिक को उसके वेतन में नव-तैनाती स्थान पर मकान किराया भत्ता शहरों की श्रेणी के अनुसार अनुमन्य किया जाएगा।"

अतः उपरोक्त के अनुक्रम में पुनः निर्देशित किया जाता है कि जिन कार्मिकों का स्थानान्तरण हुआ है वह नव तैनाती स्थान पर मकान किराया भत्ता हेतु आवेदन करेंगे तथा सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा शहर की श्रेणी के अनुसार मकान किराया भत्ता स्वीकृत किये जाने के उपरान्त ही स्थानान्तरित कार्मिकों द्वारा मकान किराये भत्ते का आहरण सुनिश्चित किया जायेगा।

(अशोक कुमार जुयाल)
महाप्रबन्धक (मा०सं०)

पत्रांक: 1653 /मा०सं०एवंप्र०वि०/पिटकुल/पी-8 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव-प्रबन्ध निदेशक, पिटकुल देहरादून को प्रबन्ध निदेशक महोदय के संज्ञानार्थ प्रेषित।
2. समस्त आहरण-वितरण अधिकारी, पिटकुल.....।
3. अधिशासी अभियन्ता (सू०प्रौ०-द्वितीय), पिटकुल, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि पत्र को कारपोरेशन की वेबसाइट पर प्रदर्शित करवाना सुनिश्चित करें।

(अशोक कुमार जुयाल)
महाप्रबन्धक (मा०सं०)